हैं। अगर ऐसे ही होना है तो मेरी क्या जरूरत है। आपस में ही आपका काम बन जाए तो फिर मेरी क्या जरूरत है।

REFORM IN MUSLIM PERSONAL LAW

+

*1413. SHRI KANWAR LAL GUPTA :
SHRI SURAJ BHAN :
SHRI SHARDA NAND :

Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the reasons for not making any reforms in the Muslim Personal Law;

(b) whether it is a fact that most of the Muslim ladies favour the Civil Code and it is opposed by some vested interests; and

(c) if not, whether Government propose to make a survey of it?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : (a) In matters of personal law relating to minority communities, it has been the policy of the Government to encourage reforms therein on the initiative of the concerned community.

(b) Government have no information in the matter.

(c) No such proposal is in view.

श्री कंवर लाल गुप्त : हमारे विधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज हैं उन में यह बात है कि देश में एक यूनिफार्म सिविल ला होना चाहिये। लेकिन यह सरकार मुल्लाओं के दबाव में आ कर मुस्लिम विमैनहुड की जो फीलिंग्ज हैं, उसकी जो एसपिरेशंज हैं, उनको एप्रिशिएट नहीं कर रही है और एक तरह से उनको दबाने की कोशिश कर रही है शायद कुछ पोलिटिकल कारणों से, वोट प्राप्त करने के लिए।

इस सम्बन्ध में मैं दो सवाल करना चाहता हूं। क्या सरकार को मालूम है कि मुस्लिम देशों में भी जैसे पाकिस्तान है, उसने 1961 में एक आर्डिनेंस जारी किया था जिस के जरिये से दूसरी शादी नहीं हो सकती जब तक कि वह आर्बिट्रेशन काउंसिल की परमिशन न लें ले ? इसी तरह से सीरिया में, ईराक में, ट्यूनिसिया में, ईरान में तथा और भी जितने मुस्लिम देश हैं उन्होंने भी कानून बना दिये हैं। मुस्लिम पर्सनल ला शरियत के अनुसार है और होना भी चाहिये। उस में दखल देना मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन क्या सरकार इस प्रकार का कमिशन बिठाएगी जिस में श्री हिदायतुल्ला जो कि चीफ जस्टिस हैं वे चेयरमैन हों और सारे के सारे मुस्लिम जरिस्ट हों लेकिन उस में मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधि जरूर हों और वह कमिशन इस बात की जांच करे कि मुस्लिम पर्सनल ला में क्या क्या संशोधन होना चाहिये ताकि आज जो उनके साथ ज्यादती हो रही है वह कम हो या हो ही नहीं ? अगर नहीं बिठाएंगे तो क्यों नहीं ?

SHRI GOVINDA MENON : The Hon. Member has made a good suggestion. I will accept it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I want to congratulate the Government.

अध्यक्ष महोदय : बाद में करना।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे इस सुझाव को स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि किसी भी माइनोरिटी कम्युनिटी के धर्म में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और हर धर्म का हमें आदर और सत्कार करना चाहिये। क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि गुड़गांव में कई हजार मुस्लिम महिलाओं ने तथा महराष्ट्र में भी प्रदर्शन किया है और मांग की है कि मुस्लिम ला में तरमीम होनी चाहिये और एक से अधिक विवाह करने की इजाजत एक्सैपशनल सरकमस्टांसिस में होनी चाहिये। अगर सरकार को यह मालूम है तो क्या सरकार उनके रिप्रिजैलेटेब्स को बुला कर इसके साथ उनको भी एसोसिएट करेगी, जो कमिशन आप बना रहे हैं, उसके साथ उनको एसोसिएट किया जाएगा ?

SHRI GOVINDA MENON : I am glad to hear from the hon. Member that in

Maharashtra and in Gurgaon, Muslim ladies met and decided that there should be monogamy in their community. But I have not received any communication, nor have Government received any communication.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : पेपर्ज में भी आया था। मेरे इलाके में भी यह मांग है। I shall give it to him.

MR. SPEAKER : Those ladies have asked the question through Shri Kanwar Lal Gupta.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I want to plead it and if he does not accept it, then they will agitate. I am glad that at least he has agreed to examine my suggestion.

SHRI BADRUDDUJA : Will the hon. Minister be pleased to state if Government have consulted Muslim divines and all sections of responsible Muslim opinion in the country before risking any reform of this character which vitally affects the structure of Islam and Islamic *Shariat*? Will the hon. Minister be pleased to seriously consider as to whether the opinion of half a dozen misguided women.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I want to protest against this remark. I have respect for my senior colleague. But strongly protest against this remark. They are the really enlightened women of India and we are proud of them.

SHRI BADRUDDUJA : Under the baneful influences of our political opponents who want to use them as pawns in the political chess-board for their party and political aggrandizement, will be the guiding factor in this matter or whether the Government will consult the opinion of the largest majority of Muslims all over India? Will the hon. Minister be pleased to consider as to whether there has not been a lot of misrepresentations about polygamy in Islam. Monogamy is an injunction in Islam. Polygamy is only a permission to meet eventualities as during war time and in other extreme circumstances when there is decimation of male population of Muslims; it is not an injunction. Monogamy is an injunction consistent with the order and progress of human society, compatible with the course of evolution. Will the hon. Minister also be pleased to consider that 95 per cent of Muslims of India never practise polygamy? The majority among Muslims, only a few among the poorer classes in the population, resort to polygamy and that only under extreme circumstances.

MR. SPEAKER : The hon. Member has given some more information, and the hon. Minister should welcome it.

SHRI BADRUDDUJA : I have put a question.

श्री म० अ० खां : कुछ कम्युनल संस्थाऐं हैं जो हिन्दुस्तान में मुसलमानों के बेसिक प्रिंसिपल्ज पर अटैक करने की कोशिश कर रही हैं। हम यह भी जानते हैं कि इस सदन में यह इत्तिला दी गई है कि बावजूद मुसलमानों के परसनल ला में इजाजत होने के कि एक से ज्यादा शादियां हो सकती हैं मैजोरिटी कम्युनिटी के मुकाबले माइनोरिटी कम्युनिटी में एक से ज्यादा शादियां करने का रिवाज कम है। श्री कंवर लाल गुप्त ने महाराष्ट्र की मिसाल दी है। वहां कुछ खरीदे हुए मुसलमानों और सी० आई० ए० के एजेंटों और कम्युनल संस्थाओं के हाथों में बिके हुए मुसलमानों जैसे महाराष्ट्र में एक संस्था है मुस्लिम सत्य सहोदक, उनकी तरफ ध्यान न देते हुए क्या मंत्री महोदय एश्योरेंस देंगे कि मुस्लिम परसनल ला का जो कि मुसलमानों के रिलिजन का एक हिस्सा है, उसको डिसटर्ब करने की कोशिश नहीं की जाएगी?

SHRI GOVINDA MENON: I have already stated that in matters of personal law, the wishes of the community and the initiative of the community, where they are are minorities, will be looked into.

Shri Kanwar Lal Gupta referred to article 44 of the Constitution. That is in the Chapter on Directive Principles. There is also article 25 of the Constitution which is in the Fundamental Rights chapter.

There, it is said that the religious rights of all communities will be allowed to be continued. And the Muslims claim that this marriage law and all other personal laws of theirs are part of their religion. That being so, without the consent or initiative of the communities concerned, to take any step in this direction will, apart from the inherent injustice of the matter, be against the provisions of the Fundamental Rights Chapter.

SHRI LOBO PRABHU : Though I am inclined to agree with my good friend, Shir S. K. Tapuriah, that monogamy is monotony, there is a feeling of justifiable envy in the matter.....

MR. SPEAKER : Are you advising him or is he advising you ?

SHRI LOBO PRABHU : I want to ask three specific questions, first, whether in all advanced countries, the civil law is personal and left to each community, second, whether in the last census or survey taken only 0·01 per cent of Muslims were found to have a second wife, and third, whether the Muslim law of polygamy is not bound by various restrictions which make it a matter of social safety and not a matter of social gratification or relief of such feelings as monotony as expressed by my hon. friend?

SHRI GOVINDA MENON : I accept the information of the learned member regarding the percentage of persons among Muslims who have more than one wife.

As for the question of personal law in other advanced countries, I am not in a position to give a definite answer as I have not looked up the matter.

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : अध्यक्ष महोदय, भाग (बी) के उत्तर में मिनिस्टर साहब ने बताया है कि सरकार के पास इस बारे में इनफ़र्मेशन नहीं है । क्या सरकार को वास्तव में इस बारे में किसी इनफ़र्मेशन की आवश्यकता है ? क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि महिलायें इस बात का विरोध करती हैं कि पुरुष दूसरी शादी करें और पुरुष वे दूसरी शादी करने पर वे संतुष्ट नहीं हो सकती हैं ? जैसा कि श्री कंवरलाल गुप्त ने कहा है, पाकिस्तान और कई अन्य मुस्लिम देशों में महिलाओं की तरफ़ से पालीगैमी के विरुद्ध याचिकायें दी गई थीं और वहां की सरकारों की ओर से पालीगैमी को ख़त्म किया गया है । उस में रिलिजन को ख़त्म किया गया है । उस में रिलिजन की कोई बात नहीं है । अभी बताया गया है कि केवल एक परसेंट मुसलमानों ने पालीगैमी की है । जब कोई हिन्दू दूसरी शादी करना चाहता है, तो वह इस्लाम में कनवर्ट हो कर, उस के ला का शैल्टर ले कर, दूसरी शादी करता है । जहां तक प्रापर्टी राइट्स का सम्बन्ध है, मुस्लिम महिलाओं को प्रापर्टी में शेयर मिलता है, जब कि हिन्दू महिलाओं को वह अधिकार प्राप्त नहीं है । चाहे प्रापर्टी राइट्स हों और चाहे शादी, हिन्दू और मुस्लिम महिलाओं में कोई अन्तर नहीं किया जाना चाहिए और उन के ईक्वल राइट्हस होने चाहिए । मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इस बारे में कोई काम्प्रिहेंसिव कानून लाने के बारे में विचार कर रही है ?

SHRI GOVINDA MENON : There is in force today the Special Marriages Act of 1954 which applies to all communities alike.

श्री राम सेवक यादव : अभी माननीय सदस्य, श्री बदरुद्दुजा, ने कहा है कि मुस्लिम शरियत के मुताबिक एक से ज्यादा शादियां करना लाजिमी नहीं है, कुछ खास हालात में उस की केवल इजाजत दी गई है । उसी तरह यद्यपि हिन्दुओं में चार से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, लेकिन उन में भी सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग एक ही शादी करते हैं । वहां भी एक से ज्यादा शादियां करना लाजिमी नहीं है, केवल उस की इजाजत है । इस लिए अगर हम सचमुच सब नागरिकों के लिये समान कानून बनाना चाहते हैं, तो उस में क्या दिक्कत है ? क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में—शायद और जगह भी—ज़मीन के बारे में जो उत्तराधिकारी का कानून है, उस

में केवल टैनांसी के हिसाब से उत्तराधिकार मिलता है, चाहे कोई हिन्दू हो या मुसलमान। जमीन का कानुन शरियत के मुताबिक नहीं है। क्या यह सही नहीं है कि सरकारी नौकरों के लिए, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, एक से ज्यादा शादी करने पर पाबन्दी लगी हुई है? जब यह स्थिति है, तो इस तरह की बातें क्यों उठाई जाती हैं ?

SHRI GOVINDA MENON : I did not raise any question here, if he wants to know from me. I do not know anything about the laws which he referred to as existing in Bihar and U. P. Regarding the prohibition of polygamy, I have said all I have to say. Regarding the Government servants, it is part of the service rules if they want to continue in service.

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : इस सदन के कुछ सदस्यों ने दो तीन शादियां की हैं।

SHRI HEM BARUA : There are Members of Parliament who have four wives.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : We appreciate the feelings of the ladies. All Muslim ladies, are one on this issue.

श्री मु० आ० खां : यह झूठ बात है, ग़लत बात है।

MR. SPEAKER : I have allowed a sufficient number of questions. This seems to be a very popular question.

PRODUCTION OF SYNTHETIC STONES

*1416. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total production of synthetic stones in the country within the last two years;

(b) the specific plan for the increase of the production of synthetic stones during the Fourth Plan period;

(c) whether synthetic stones are exported; and

(d) if so, the names of countries and the foreign exchange earned up till now therefrom?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATHA REDDY) : (a) The production of synthetic stones during the last two years i.e. 1968 and 1969 was 14326 and 19178 kgs. respectively.

(b) No target has been fixed for this item but the increased production is governed by the demand.

(c) and (d) : Synthetic stones are exported abroad. The important countries to which synthetic stones in the form of reconstituted precious/semi-precious stones cut/uncut are exported are Canada, Singapore, Thailand, Czechoslovakia, Netherlands, Denmark, Switzerland, U.K. and U.S.A. The foreign exchange earned through the export of these stones was Rs. 13·88 lacs for the year 1967-68, Rs. 24·07 lacs for 1968-69 and Rs. 36·11 lacs during 1969-70 (upto January '70).

श्री शिव चन्द्र झा: मंत्री महोदय ने कहा है कि कृत्रिम नगों को दूसरे देशों में भेजा जाता है और उस से हमें फ़ारेन एक्सचेंज प्राप्त होता है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में नैचरल स्टोन्ज, प्राकृतिक नगों, की कमी है, जिस की वजह से सिन्थेटिक स्टोन्ज, कृत्रिम नगों, का उत्पादन किया जा रहा है। क्या सिर्फ़ लक्सरी कनजम्प्शन के लिए सिन्थेटिक स्टोन्ज का प्राडक्शन किया जाता है?

SHRI RAGHUNATHA REDDY : As far as the question is concerned whether the natural stones are available or not, I cannot immediately give the answer.

श्री शिव चन्द्र झा : हमारे देश में नैचरल स्टोन्ज किस मात्रा में उपलब्ध हैं और उन की कितनी जरूरत है और क्या वह जरूरत उन से पुरी नहीं होती है ? क्या सिन्थेटिक स्टोन्ज का उत्पादन वास्तविक जरूरत के लिए किया जाता है या लक्सरी कनजम्प्शन के लिए; यदि लक्सरी कनजम्प्शन के लिए, तो क्यों ?